"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]　　　　रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 फरवरी 2013—माघ 13, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-34/18/2012.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा 73 के सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 70 और 110 के सहपठित धारा 355 तथा 356 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 11 के उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1-क) उप-नियम (1) के अंतर्गत या नियम 13 में उप-नियम (1-क) के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा प्रभारी सदस्य को या मेयर/अध्यक्ष को किसी प्रकरण के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा प्रकरण को इस प्रयोजन हेतु संधारित आंतरिक डाक पुस्तिका में सम्यक् रूप से दर्ज कराकर तथा प्रकरण की पावती प्राप्त कर सचिव को दिया जावेगा.

(ख) सचिव द्वारा प्रकरण यथा स्थिति मेयर/अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य को यदि वह कार्यालय में उपस्थित हो और प्रकरण स्वीकार करता हो : प्रस्तुत किया जायेगा.

(ग) दिन के कार्यालयीन घंटे पूर्ण होने से पूर्व सचिव द्वारा अपने हस्ताक्षर से निगम के सूचना पटल पर मुख्य कार्यपालिक अधिकारी से, यथा स्थिति, मेयर या अध्यक्ष तथा/या प्रभारी सदस्य को प्रस्तुति हेतु प्राप्त प्रकरणों की सूची चस्पा की जायेगी जो निम्नलिखित प्रारूप में होगी :-

(नगरपालिका का नाम)

प्रभारी सदस्य/मेयर/अध्यक्ष/के लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों की दैनिक सूची

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 (यथा संशोधित) की नियम 11 उपनियम (1-क) खण्ड (ग) के अनुसार.

क्रमांक : दिनांक :

स. क्र.	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के डाक बुक का संदर्भ क्रमांक	संबंधित प्रभारी सदस्य/मेयर/अध्यक्ष	प्रकरण का विषय
(1)	(2)	(3)	(4)

टीप :— छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 (यथा संशोधित) की नियम 11 के उपनियम (1-क) के खण्ड (ङ) के अनुसार दस दिनों के बाद "संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण अस्वीकार" टीप के साथ प्रकरण मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को लौटा दिया जायेगा.

(घ) सूचना पटल पर खण्ड (ग) के अंतर्गत सूची के चस्पा किये जाने पर, यह माना जायेगा कि समस्त प्रकरण संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, तथा नियम 13 के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा की गणना खण्ड (ग) के अनुसार सूची के निगम के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने की तारीख के अगले दिन से प्रारंभ होगी.

(ङ) नियम 13 के अनुसार समय-सीमा की समाप्ति पर, सचिव द्वारा उसके पास यदि कोई प्रकरण हो, जो खण्ड (ग) के अनुसार सूचना के सूचना पटल पर चस्पा करने के बावजूद संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हो, तो उसे वह मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को अपनी टीप के साथ लौटा देगा."

2. नियम 13 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात् :—

"(1) यथास्थिति मेयर-इन काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण प्रकरण के प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर किया जाएगा :

स्पष्टीकरण :—(1) 10 दिनों की समय-सीमा की गणना उस तारीख की आगामी तारीख से की जायेगी जिस तारीख को प्रकरण प्राप्त हुआ है.

स्पष्टीकरण:— (2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, नियम 11 में उप-नियम (1-क) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सूची का चस्पा किया जाना प्रकरण का प्रस्तुत किया जाना माना जायेगा.

(1-क) यदि, यथास्थिति, मेयर-इन काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या मेयर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रकरण में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो समस्त प्रश्नों को बिन्दुवार लिखित में एक मुश्त उप-नियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा में मांगा जायेगा,

(1-ख) उप नियम (1-क) के अन्तर्गत प्राप्त प्रश्नों का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार जवाब दिया जायेगा तथा, उसके द्वारा प्रतिक्रियाओं सहित प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् यथा स्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या मेयर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रकरण का निराकरण तत्पश्चात् दस दिनों की समय-सीमा में किया जायेगा.

स्पष्टीकरण:—(1) 10 दिनों की समय-सीमा की गणना उस तारीख की आगामी तारीख से की जायेगी जिस तारीख को प्रकरण प्राप्त हुआ है.

स्पष्टीकरण:—(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, नियम 11 के उप-नियम (1-क) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सूची का चस्पा किया जाना प्रकरण का प्रस्तुत किया जाना माना जायेगा.

(1-ग) यदि किसी प्रकरण का निराकरण यथा स्थिति मेयर-इन काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या मेयर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा उप-नियम (1) या (1-ख) में यथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा में नहीं किया जाता है तब उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार के संबंध में है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरण को, जिस रूप में यह यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में मान लिया जाएगा कि यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और तदनुसार प्रकरण पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

(ख) यदि प्रकरण यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य से प्रकरण वापिस लेकर सीधे अपने प्रस्ताव के साथ तथा यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आता है तब यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल को और यदि यथास्थिति निगम या परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है तब ऐसा प्रकरण अपने प्रस्ताव सहित यथास्थिति निगम या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगा.

परंतु यह कि यदि महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य, यथास्थिति, किसी भी कारण से उप-नियम (1) में निराकरण हेतु विनिर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर तक प्रकरण मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को नहीं सौंपते हैं तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि तैयार कर तथा अपने प्रस्ताव का उल्लेख करने के पश्चात् इस नियम के अनुसार प्रकरण को इस परंतुक के अंतर्गत विनिश्चय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, का लेख करते हुए कार्यवाही करेगा.

परंतु यह भी कि क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रकरण को अगले स्तर के प्राधिकारी से समक्ष प्रस्तुत करते समय मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इसके साथ महापौर या अध्यक्ष तथा/या मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल द्वारा उठाये गये प्रश्नों और संबंधित विषय पर बिन्दुवार उसके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 5-34/18/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 5-34/18/2012 दिनांक 02-02-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 2nd February 2013

NOTIFICATION

No. F -5-34/18/2012.—In exercise of the powers conferred by Sections 37 and 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. After sub-rule (1) of Rule 11, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1-a) The procedure for submission of any case by the Chief Executive Officer to the Mayor/President or the Member-in-charge under sub-rule (1) or under sub-rule (1-a) of Rule 13 shall be as follows :

(a) The Chief Executive Officer shall get the case duly recorded in an internal Dak Book maintend for this purpose and after acknowledging the receipt the case shall be delivered to the Secretary.

(b) The Secretary shall deliver it to the Mayor/President or the Member-in-charge, as the case may be, if he is present in office and accepts delivery of the case.

(c) Before closing of office hours for the day, the Secretary shall display under his signature on the Notice Board of the Corporation a Statement of cases received from the Chief Executive Officer for delivery to the Member-in-Charge and/or the Mayor or the President, as the case may be, in the following format :—

(Name of the Municipalities)

Daily Statement of Cases Received from Chief Executive Officer for Member-in-charge/Mayor/President

According to clause (c) in sub-rule (1-a) of Rule 11 of Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the Powers and functions of the Authorities) Rules, 1998 (as amended)

No. Date:

Sl. No. (1)	CEO Dak Book Reference No. (2)	Member-in-charge/Mayor/President to whom it relates (3)	Subject of the Case (4)

Note— According to clause (e) in sub-rule (1-a) of Rule 11 of Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998 (as amended) the case shall be returned to the Chief Executive Officer after ten days with the remark "Not accepted by the authority concerned"

(d) On display of the Statement under clause (c), all cases shall be deemed to have been delivered to the authority concern and the time limit for disposing of the case under Rule 13 shall commence from the day following the next day when the Statement has been displayed on the Notice Board of the Corporation according to clause (c).

(e) On expiry of the time limit as per Rule 13, the Secretary shall return back to the Chief Executive Officer with his remark, any case which has not been received by the authority concerned despite display of information as per clause (c)."

2. For sub-rule (1) of Rule 13, the following shall be substituted, namly :—

"(1) Every case shall be disposed off by, the Mayor-in-Council or President-in-Council or Mayor or President or Member-in-charge, as the case may be, within ten days of delivery of the case.

Explanation :— (1) The time-limit of ten days shall be counted from the date, following the date on which the case is delivered.

Explanation :— (2) Display of the Statement under clause (c) of sub-rule (1-a) of Rule 11 shall be deemed to be delivery of the case for the purpose of this rule.

(1-a) If the Mayor-in-Council or President-in-Council or the Mayor or the President or the Member-in-charge, as the case may be, requires any clarifications in the matter, all queries shall be sought, within the time-limit specified in sub-rule (1), point-wise in writing, in a single instance.

(1-b) The Chief Executive Officer shall reply point-wise to the queries received under sub-rule (1-a) and, after he puts up the case with responses, the Mayor-in-Council or President-in-Council or the Mayor or the President or the Member-in-Charge, as the case may be, shall dispose of the case within ten days.

Explanation :— (1) The time-limit of ten days shall be counted from the date following the date on which the case is delivered :

Explanation :— (2) Display of the Statement under clause (c) of sub-rule (1-a) in Rule 11 shall be deemed to be delivery of the case for the purpose of this rule.

(1-c) If any case not being disposed off by the Mayor-in-Council or the President-in-Council or the Mayor or the President or the Member-in-charge, as the case may be, within the time-limit as specified in sub-rule (1) or (1-b) the consequence shall be as follows :—

(a) In respect of cases falling in the jurisdiction of the Mayor-in-Council or the President-in-Council, as the case may be, the Chief Executive Officer shall deem that the case has been approved by the Mayor-in-Council or the President-in-Council, as the case may be, in the same manner as it was placed before the mayor-in-Council or the President-in-Council, as the case may be and proceed further in the matter

(b) In respect of cases falling in the jurisdiction of the Mayor or the President or the Member-in-Charge, as the case may be, the Chief Executive Officer shall obtain the case back from the Mayor or the President or the Member-in-Charge, as the case may be and if the case falls in the jurisdiction of the Mayor-in-Council or

the President-in-Council, as the case may be, it shall be placed alongwith its proposel before the Mayer-in-Council of the President-in-Council as the case may be and if the case falls in the Jurisdiction of the Corporation or the Council, as the case may be, it shall be placed alongwith its proposal before the Corporation or the Council, as the case may be in its meeting :

Provided that if, the Mayor or the President or the Member-in-Charge, as the case may be, for any reason whatsoever, fail to return the case to the Chief Executive Officer within three days after lapse of time for disposal has elapsed in terms of sub-rule (1), the Chief Executive Officer shall create a true copy of the case and act upon it in accordanc with this rule after mentioning in his proposal that this is a copy of the case being placed for decision under this proviso :

Provided further that at the time of submitting the case as per the jurisdiction before the next level of authority the Chief Executive Officer shall attach a copy of the queries raised by the Mayor or the President and/or Mayor-in-Council or the President-in-Council, and attach a copy of point-wise reply given by him in the matter concerned."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.